आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *RJ/JPC/ FN-05/2011-13*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 9 अंक 21 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 नवम्बर, 2012 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु.

इंसाफ की मिसाल

यों तो सम्पूर्ण विश्व में इंसाफ की अनेकों मिसालें हमें इतिहास के पन्नों से मिलती हैं किन्तु हमारे देश ने इंसाफ के लिए जो मिसालें कायम की हैं वैसी मिसाल विश्व में अन्यत्र नहीं मिलेगी। इंसाफ देने के अति महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन आम तौर पर राजाओं के द्वारा किया जाता रहा किन्तु वर्तमान दौर में यह काम एक पेशेवर विधि स्नातकों (वकीलों) के जिम्मे किया गया है जिसमें सरकर या न्यायतंत्र जिसे चाहे उसे न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं किन्तु उनकी पात्रता कानून की डिग्री की अनिवार्यता है। ज्योंही किसी वकील को न्यायाधीश पद पर बैठा दिया जाता है, उसे भगवान का दर्जा हासिल हो जाता है। यह अलग बात है कि मुन्सिफ का फैसला सत्र न्यायाधीश बदल देते हैं तो हाई कोर्ट सत्र न्यायालय का निर्णय पलट देने के लिए स्वतंत्र है और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, उसे न केवल न्याय तंत्र में सर्वोच्चता हासिल है बल्कि आम आदमी की आस्था उनमें एक ईश्वर के प्रतिनिधि के बतौर होती है। शासन चाहे लोकतंत्र द्वारा संचालित हो या राजतंत्र द्वारा उस तंत्र में न्याय व्यवस्था सही नहीं है तो वह राष्ट्र रहने योग्य नहीं है। इंसाफ की एक ऐसी ही मिसाल हम पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहानी नहीं सत्य है।

वर्षों पूर्व जब राजाओं का शासन था, एक नव विवाहित व्यवसायी का लड़का अपनी पत्नी के साथ उत्तर भारत से दक्षिण के एक राज्य मदुरै में व्यापार के लिए पैदल रवाना हुआ। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि उत्तर क्षेत्र के राजा से जनता को इंसाफ नहीं मिलता जबकि दक्षिण क्षेत्र के इस राजा के बारे में उसने सुन रखा था कि वहां के राजा का इंसाफ सम्पूर्ण देश में एक मिसाल माना जाता है अतः उसने तय किया कि वह मदुरै जाकर ही अपना व्यवसाय करेगा। रास्ता बहुत लम्बा था और कई महिनों की यात्रा के पश्चात् व्यवसायी दम्पत्ति नागपुर पहुंचे और नागपुर में स्थित एक साध्वी के घर पहुंच कर उनका आशीर्वाद लिया और अपना आगे का कार्यक्रम बताया।

साध्वी को इस दम्पति पर (नव विवाहित दम्पत्ति) पर बहुत तरस आया और उसने दोनों को वापिस लौट जाने का परामर्श दिया किन्तु उन्होंने ने दृढ़ता के साथ साध्वी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार साध्वी ने तय किया कि वह भी उनके साथ पैदल ही मदुरै चलेगी। लम्बी यात्रा के बाद तीनों मदुरै पहुंचे जहां साध्वी के यजमान का घर था। साध्वी ने व्यवसायी पुत्र को भी सतर्क एवं सावधान होकर काम करने का सुझाव दिया।

दोनों पति-पत्नी के मध्य तय हुआ कि कामकाज शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है जो उनके पास नहीं हैं अतः उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह उसके शरीर पर धारित सोने के कड़े में से एक कड़े को बेचकर जो भी राशि मिले उससे व्यापार एवं आवास का प्रबन्ध कर लिया जाये। व्यवसायी पुत्र वह कड़ा लेकर बाजार में गया किन्तु उसका कड़ा नहीं बिका और अन्त में वह एक सुनार के पास पहुंचा, सुनार ने उसे अपनी दुकान पर बैठा कर कहा कि मैं अभी पैसों का बन्दोबस्त करता हूं तुम यहीं मेरी दुकान पर बैठकर मेरा इंतजार करो, इसके बाद सुनार उक्त कड़े को लेकर राजा के महल गया और कहा कि महारानी का जो कड़ा खो गया था वह मिल गया है, चोर मेरी दुकान पर रूका हुआ है।

राजा ने रानी से परामर्श कर इस बात की तस्दीक की कि यह वही कड़ा है जो कुछ समय पूर्व खो गया था। आनन फानन में राजा के सिपाही सुनार की दुकान से चोरी का आरोप लगाते हुए व्यवसायी पुत्र को गिरफ्तार कर लाये। व्यवसायी पुत्र ने अनेकों बार कहा कि वह कड़ा चोरी का नहीं है किन्तु उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। सिपाहियों की मारपीट में व्यवसायी पुत्र वहीं ढेर हो गया।

ज्यों ही इस घटना की जानकारी व्यवसायी पुत्र की पत्नी को मिली वह विलाप करती हुई महल में आई और घंटा बजाकर राजा के सामने उपस्थित हुई। उसने राजा से कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और इस अपराध में आपके सिपाहियों के साथ आप भी जिम्मेदार हैं। राजा ने अपने इंसाफ को सही बताया किन्तु व्यवसायी पुत्र की पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपने दूसरे पैर के कड़े को तोड़कर यह साबित किया कि यह कड़ा चोरी का नहीं बल्कि उसी का था। राजा को अहसास हो गया कि उससे गंभीर भूल हुई है जिसमें एक आदमी की जान चली गई अतः उसे आज अपने विरूद्ध इंसाफ करना है। राजा ने कटार निकाल कर अपने प्राण देकर उसकी कीमत चुकाई और कहा कि मुझे वही सजा मिलनी चाहिये जो किसी अन्य अपराधी को मिलती है।

किन्तु आज स्थिति यह है कि किसी न्यायाधीश के समक्ष इस तरह का दुःसाहस न्यायालय की अवमानना माना जाता है और उसे जेल की सजा हो सकती है। हम भगवान राम तक को आरोपित करने से परहेज नहीं करते थे किन्तु आज भगवान के अस्तित्व को ही नकारने का दुःसाहस कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज इंसाफ की ऐसी मिसाल न देखने को मिलती है और न सुनने को।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्चन्तुः मा कश्चिदः दुखभाग्यवेतः

''सभी सुखी रहें सभी निरोग रहें सभी भद्र व विद्वान हों
प्राणीमात्र तक किसी को कोई कष्ट ना हो॥''

यह हमारी संस्कृति व सोच है जो समस्त विश्व को एक कुटुम्ब के रूप में मानते हुये सभी के लिये सुखों की कामना करती है।

दीपावली के इस शुभ अवसर पर
''न्यायिक ज्वाला'' के पाठकों को पत्र की ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं

सम्पादक

सम्पादकीय ....

महिला सशक्तिकरण और कानूनों का दुरूपयोग

हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं किन्तु फिर भी ऐसा बताया जाता है कि वो सुरक्षित नहीं हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार भी शुकूनभरी जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। कभी हम खाप पंचायतों के फैसलों पर आन्दोलित हैं तो कभी हम घरेलू हिंसा की वारदातों से। हम इस बिखराव की पीड़ा से जूझ रहे हैं किन्तु कानून हमें जोड़ने से ज्यादा तोड़ने में अधिक मदद कर रहे हैं। जहां एक ओर हम महिलाओं के द्वारा दर्ज मामलों को लेकर चिन्तित हैं वहीं दूसरी ओर प्रचलित कानूनों के दुरुपयोग की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

शिक्षा के प्रसार से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं तो साथ ही वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं फहराया हो। इससे पुरुष एवं महिला दोनों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है तो दूसरी ओर विवाद भी बढ़े हैं।

ज्यों ही किसी दम्पति में विवाद शुरू होता है, मर्यादाओं की सीमा का उलंघन भी होने लगता है। छोटी-छोटी घटनाओं को बड़ी घटना बनाकर पेश किया जाता है और यहीं से शुरू होता है झूठे मुकदमों का सृजन जो अंत में तलाक तक पहुंच जाता है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा स्वतंत्रता की सीमा तोड़ दी जाती है और स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाती है। नैतिकता केवल एक मुहावरा बनकर रह जाता है। उन मुकदमों में झगड़ा भले ही पति से हो किन्तु आरोपी उसके माता-पिता, रिश्तेदार सभी को बना दिया जाता है और पुलिस की दखल परिवार में बढ़ जाती है। आमतौर पर कोर्ट अधिकांश मामलों में महिला के कथनों को सही मानकर कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं जिसका परिणाम ऐसी कटुता में होता है कि भविष्य में विश्वास बनाये रखना असंभव सा हो जाता है। समय-समय पर देश की उच्चतर अदालतें इस पर अपनी गंभीर टिप्पणियां भी करती रही हैं।

अभी हाल ही में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रथम सूचना के आधार पर ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा चलाने को गलत बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी को बेवजह नहीं फंसाया जाना चाहिए। सर्वेक्षण बताते हैं कि देश में दहेज प्रताड़ना पर धारा 498ए में दर्ज 70 से 80 प्रतिशत मामले बदले की भावना से दर्ज कराये जाते हैं और ससुराल पक्ष के निर्दोष लोगों को झूठा फंसाया जाता है। यह स्थिति गंभीर चिन्ताजनक है जिसे महिलाओं को भी गंभीरता से लेना चाहिए।

इसके अलावा शारीरिक शोषण के जितने मामले दर्ज होते हैं उनकी स्थिति भी 498 ए जैसी ही है। विडम्बना यह है कि एक महिला जब यह मुकदमा दर्ज कराती है कि किसी व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया तब यह प्रश्न भी अहम हो जाता है कि शादी के पहले उसने अपने आपको इस शोषण के लिए तैयार क्यों किया? कई मामलों में तो यह भी पाया गया कि इस तरह की शिकायतकर्ता को यह भी पता था कि वह व्यक्ति शादी शुदा है फिर भी उसका यह आरोप अन्य महिलाओं के अधिकारों को भी कमजोर करता है। एक तरफ हम ‘‘लिव इन रिलेशनशिप’’ की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसी शिकायतें जो परस्पर विरोधाभासी हैं।

अब समय आ गया है कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है ताकि सही मायने में पीड़ित महिला को इंसाफ मिल सके।

सोशल मीडिया की निगरानी का खाका तैयार

नई दिल्ली। इंटरनेट सोशल मीडिया पर पहरे की शुरूआती योजना तय हो गई है। सरकार ने फैसला किया है कि सोशल नेटवर्क और इंटरनेट पर सूचनाओं व सामग्री का प्रसारण रोकने के लिए वही नियम लागू होंगे जो टीवी और रेडियो के लिए निर्धारित हैं। गृह मंत्रालय सहित तमाम एजेंसियां इन नियमों के आधार पर सोशल मीडिया की निगरानी करेंगी और आपत्तिजनक सामग्री को सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगाएंगी।

इंटरनेट पर पाबंदी के तरीकों और नियमों पर सहमति बनने के बाद अब सभी इंटरनेट ऑपरेटरों और सोशल नेटवर्कों को हिदायतें जारी करने का निर्देश हो गया है। सरकार एक अंतरमंत्रालयी समन्वय तंत्र भी बनाने जा रही है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की लगातार निगरानी करेगा। सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर सरकार की मुहिम खासा तेज है। अगस्त के अन्त में प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी और सामग्री को प्रतिबंधित (ब्लॉक) करने का फैसला किया गया था। फेसबुक, ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कंटेंट प्रसारित करने के नियम तय करने के मकसद से केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय की अगुवाई में उच्चस्तरीय समिति बनाई थी।

इस समिति का मानना है कि प्रसारण माध्यमों की निगरानी के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू हैं और तरह-तरह की कानूनी चुनौतियों के बीच सफल साबित हुए हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए फिलहाल इन्हीं नियमों, निर्देशों और अधिकारों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार सोशल मीडिया पर कंटेंट ब्लॉक करने के लिए कानून व्यवस्था बिगड़ने के खतरे को आधार बनाएगी, जिसके लिए सूचना तकनीकी कानून की धारा, 69 (ए) में भी पर्याप्त प्रावधान हैं। हाल में कई इंटरनेट वेबसाइट और सोशल मीडिया नेटवर्क पर विभिन्न तरह के कंटेंट को लेकर सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी और गूगल, फेसबुक आदि से जवाब-तलब किया था।

लेकिन असम हिंसा के दौरान अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद सरकार ने सीधी कार्रवाई का निर्णय किया। इसके तहत एक प्रभावी मॉनीटरिंग सिस्टम, कंटेंट ब्लॉक करने की क्षमता और जरूरी कानूनी इंतजाम किए जाएंगे। सोशल मीडिया व इंटरनेट पर निगरानी की यह मुहिम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की देखरेख में चल रही है। सूचना तकनीकी, दूरसंचार व गृह मंत्रालय, इंटेलीजेंस ब्यूरो, एनटीआरओ जैसी खुफिया एजेंसियां और डीआरडीओ तकनीकी एजेंसियां इसका हिस्सा हैं।

मीडिया के प्रति असहिष्णु नेताओं की आलोचना

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा मीडियाकर्मियों को दी गई धमकी की भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने तीव्र आलोचना की है। सिंह ने अपने पर लगे भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पूछने पर मीडियाकर्मियों के कैमरे तोड़ देने की धमकी दी थी। काटजू ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों के प्रति नेताओं की बढ़ती ऐसी असहनशीलता स्वीकार्य नहीं है।

यह अत्यन्त आपत्तिजनक है कि कुछ पुराने नेताओं में मीडिया को बर्दाश्त नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वे मीडिया से वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसे व्यवहार की लोकतंत्र में उनसे अपेक्षा की जाती है। एक वरिष्ठ राजनेता का कथित बयान इस तरह के अलोकतांत्रिक व्यवहार का ताजा उदाहरण है।

काटजू ने वीरभद्र के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता पर लगे कुछ आरोपों के बारे मे पूछा गया तो उसने सवाल पूछने वाले पत्रकारों के कैमरे तोड़ देने की धमकी दी।

काटजू ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और नेता केवल उनके नौकर हैं। मीडिया जनता को उनके नौकरों के बारे में सूचना देने के लिए सिर्फ एजेंट के रूप में काम करता है।

यदि किसी नेता के खिलाफ ऐसा कुछ प्रकाशित होता है जो सच नहीं है तो निश्चित रूप से उसे अधिकार है कि वह उसके बारे में जवाब दे लेकिन ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया पर की गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी और मुम्बई में मीडिया के दफ्तरों को निशाना बनाने की भी परोक्ष रूप से आलोचना की।

जिन्दल ने जी न्यूज पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली। जिंदल स्टील व पावर ने एक संवाददाता सम्मेलन में जी न्यूज के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का टेप दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैनल ने कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। साथ ही कोयला खदान आवंटन पर इसके खिलाफ खबर नहीं दिखाने के लिए सौ करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की।

जेएसपीएल के अध्यक्ष व कांग्रेस सांसद नवीन जिन्दल ने कहा कि जी के पदाधिकारियों ने चार साल के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने दावा किया कि कोयला खदान आवंटन में कंपनी के खिलाफ खबर नहीं दिखाने के लिए उन्होंने बाद में रकम बढ़ाकर सौ करोड़ रुपए कर दी।

कैग की रिपोर्ट में बिना आवंटन के कोयला खदान पाने वाली जिन कंपनियों का नाम आया है उनमें जेएसपीएल भी है। इसके जवाब में चैनल ने जिंदल के खिलाफ जी न्यूज के प्रमुख सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के प्रमुख समीर आहलुवालिया का बयान चलाया और दावा किया कि जेएसपीएल कोयला खदान आवंटन में अपनी संलिप्तता के ‘उजागर’ होने से भयभीत है।

जिंदल ने जी न्यूज के दोनों पदाधिकारियों का नाम लिया था और कहा कि उन्होंने जेएसपीएल अधिकारियों से मुलाकात की थी। जिंदल ने कहा कि जेएसपीएल ने 13 सितम्बर से 19 सितम्बर के बीच ‘उल्टा स्टिंग’ ऑपरेशन किया ताकि चैनल की उगाही की कोशिश का भंडाफोड़ किया जा सके। चौधरी और अहलुवालिया की जेएसपीएल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह रिकार्डिंग की गई।

जिंदल ने चैनल के प्रतिनिधियों के व्यवहार को ‘लज्जाजनक ब्लैकमेलिंग’ करार दिया और से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से निर्धारित पत्रकरीय नियमों और सिद्धान्तों का उल्लंघन बताया। जिंदल ने कंपनी जेएसपीएल ने जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने चैनल के खिलाफ रिकार्डिंग को लिखित रूप में भी जारी किया। उन्होंने दावा किया कि जी के खिलाफ कंपनी के पास और ज्यादा विस्फोटक सामग्री उपलब्ध है।

(शेष पृष्ठ पांच पर)

जी न्यूज और जिंदल ने एक-दूसरे पर ठोका मानहानि का दावा

नई दिल्ली। समाचार चैनल जी न्यूज ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल एवं जेएसपीएल की गत 25 अक्टूबर के प्रेस कांफ्रेंस का सख्त जवाब देते हुए 150 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा। वहीं, नवीन जिंदल ने जी न्यूज पर गलत छवि पेश करने का आरोप लगाते हुए 200 करोड़ का मानहानि का दावा किया है।

आरोप बेबुनियाद : जी न्यूज ने प्रेस कांफ्रेंस में जिंदल द्वारा पेश छेड़छाड़ किए गए साक्ष्यों जिनमें खबर रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग को पूरी तरह से खारिज करने के साथ ही इसकी निन्दा भी की है।

3 दिन का अल्टीमेटम : जी न्यूज ने अपने खिलाफ लगे आधारहीन एवं मानहानि करने वाले सभी आरोपों को वापस लेने के लिए नवीन जिन्दल को तीन दिन का समय दिया है। जी न्यूज ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर नवीन जिंदल को दीवानी एवं आपराधिक मामलों का सामना करना होगा। गौरतलब है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल की कंपनियों पर आरोप लगाने से जी न्यूज सहित अन्य मीडिया हाउसेज से जिन्दल खफा चल रहे हैं।

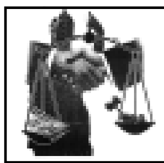

थिंक टैंक कान्क्लेव 2012 सम्पन्न

थिंक टैंक कान्क्लेव का प्रारम्भ आयोजन के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति श्री पानाचंद जी जैन द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। कान्क्लेव में देश के विभिन्न भागों से आये लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जयपुर के अध्यक्ष श्री श्रीगोपाल शर्मा ने सभी को सूचित किया कि सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, जयपुर का रजिस्ट्रेशन हाल ही में हो चुका है जो कि सोसाइटी की कार्यवाही को सुचारू रूप से सम्पादित करने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री पानाचन्द जैन एवं आगन्तुक सभी अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झूठे शपथ पत्रों पर न्यायालय द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए साथ ही देश की न्यायिक व्यवस्था में फैली विसंगतियों को दूर करने के लिए नागरिकों को भी सजग एवं जागरूक होना चाहिए जिससे सकारात्मक परिणाम मिलने की काफी सम्भावना रहेगी।

तत्पश्चात् सोसाइटी के संयुक्त सचिव श्री गोविन्द मिश्रा ने न्यायिक सुधार पर कवियत्री माया गोविंद द्वारा रचित एक कविता एवं एक स्वरचित कविता का वाचन किया। कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी के सचिव श्री सुरेश अग्रवाल ने किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक कार्यवाही की विडियोग्राफी ही न्यायिक क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं का समाधान है यहां तक कि यह रामबाण औषधि भी साबित हो सकती है। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस मुम्बई के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र ठक्कर ने कहा कि ब्रिटिश सम्राज्य द्वारा उनकी नीति में सहायक रूप में बनायी गयी न्यायिक प्रणाली को उसी रूप में जारी रखते हुए किसी भी प्रकार की सुधारात्मक या प्रगतिशील परिणामों की अपेक्षा करना मूर्खता होगी। एडवोकेट श्री महेश शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यहां यह सच है कि ''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'' वहीं यह भी उतना ही सत्य है कि ''जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड'' यानि जल्दी में किया गया न्याय, न्याय को दफन कर देता है। फॉरम फॉर जस्टिस के अध्यक्ष श्री भगवान जी रैयाणी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान में ''न्याय'' के अधिकार को प्रमुख स्थान दिया गया है इसलिए अन्याय के खिलाफ चुप बैठना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने न्यायाधीशों की न्याय के प्रति उदासीनता का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने उनके द्वारा दायर की गयी जनहित याचिकाओं के लिए स्वयं ही पैरवी करनी की विनती करने पर मुम्बई न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि वे स्वयं यदि पैरवी करना चाहते हैं तो कठघरे में खड़े होकर पैरवी करनी होगी। इसका कारण एवं सम्बन्धित नियम का विवरण जब न्यायालय से आरटीआई के तहत भी मांगा गया तो कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि फॉरम फॉर जस्टिस का अब वैश्वीकरण हो गया है क्योंकि अब विभिन्न देशों में भी इसकी शाखाएं खुल गई हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि वे 24-25 नवम्बर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर सत्याग्रह के लिए अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हों जिससे सरकार पर न्यायिक सुधार के लिए अधिकाधिक दबाव डाला जा सके।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री प्रशान्त भूषण ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि कार्यपालिका एवं विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करे वो यह सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि यदि हम यह विश्लेषण करें कि न्यायपालिका से कितने लोगों को न्याय मिल पाता है तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल मात्र 2 प्रतिशत लोगों को मुश्किल से न्याय मिल पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीबी के चलते देश की 80 प्रतिशत जनता तो अदालत तक पहुंच ही नहीं पाती है। शेष 20 फीसदी में से भी अधिकांशतः मध्यम वर्गीय जनता महंगी, लम्बी एवं संभ्रान्त वर्ग की ओर झुकी मानसिकता के चलते न्याय तक नहीं पहुंच पाती। तो इस 20 प्रतिशत में से मुश्किल से 10 प्रतिशत लोगों को न्याय मिल पाता है। इस प्रकार केवल 2 प्रतिशत लोग ही न्याय प्राप्त कर पाते हैं।

कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार तब ही संभव है जब हम सभी अपने आचरण में सुधार लायें क्योंकि व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के लिए केवल न्यायाधीश या वकील ही जिम्मेदार नहीं अपितु हम सभी आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

कार्यक्रम के प्रमुख सत्र में 11 समूह चर्चा के लिये बनाये गये जिन्होंने निम्न विषयों पर विचार-विमर्श किया-

1. धीमी न्यायपालिका समाज और राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही है साथ ही अक्षमता एवं भ्रष्टाचार को पोषित करती है। इसके उदाहरणों की विवेचना।
2. 'सूचना का अधिकार' के कानून, नियम एवं निर्णयों की व्याख्या एवं कार्यान्वयन के बारे में सम्बन्धित सूचना अधिकारियों एवं न्यायालयों में मतभेद है। उसे दूर कैसे किया जावे? सूचना के अधिकार का दुरुपयोग एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की समस्या।
3. भारतीय विधि आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (प्रस्तावित) एवं न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक 2012 को कैसे प्रभावी बनाया जाये।
4. मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु हाईकोर्टों की पीठ संख्या (ज्यादा जिलों में) एवं सुप्रीम कोर्ट की पीठों की संख्या (चार महानगरों में) बढ़ायी जाये, रिक्त पद भरे जायें, दो शिफ्टों में न्यायिक कार्यवाही हो एवं न्यायालय की कार्यवाही की विडीयोग्राफी हो।
5. न्यायपालिका में सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए सभी स्तर के न्यायिक अधिकारियों (मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश एवं हाईकोर्ट न्यायाधीशों) के लिए अलग-अलग न्यायिक चयन परीक्षाएं हों एवं आकर्षक वेतन एवं सुविधाओं का प्रावधान हो।
6. 'राष्ट्रीय अभियोग नीति 2010' को कारगर रूप में कैसे लागू किया जाये विशेषकर जबकि सरकारी अधिकारी मुकदमे एवं अपीलें बिना पुनर्विचार के दायर करते जा रहे हैं।
7. विचाराधीन कैदियों की दशा में कैसे सुधार हो? क्या जमानत आरोपी का अधिकार होना चाहिए, यदि हां तो किन शर्तों के साथ? क्यों न उन विचाराधीन कैदियों को, जिन्होंने अधिकतम सजा की 50 प्रतिशत अवधि जेल में काट ली हो, स्वतः ही जमानत देने का प्रावधान किया जाये।
8. वैकल्पिक विवाद समाधान एवं प्ली बारगेनिंग द्वारा आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था हो।
9. फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के 'न्यायपालिका बचाओ, देश बचाओ' अभियान को किन साधनों व तरीकों से एक आम जनता का आंदोलन बनाया जाये।
10. ज्यादा से ज्यादा शहरों व कस्बों में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की स्थापना की जाये।
11. फॉरम फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा 24-25 नवम्बर, 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में आयोजित होने वाले ''सत्याग्रह'' को कैसे सफल बनाया जाये।

उक्त 11 विषयों पर अलग-अलग समूहों ने विस्तृत विचार-विमर्श से निकाले गये निष्कर्षों की रिपोर्ट सभी के समक्ष प्रस्तुत की। इन 11 समूहों के अध्यक्ष थे क्रमशः श्री वरुण आर्य, जोधपुर, श्री अजय जांगिड़, सूरत, श्री अहमद अब्दी, मुम्बई, श्री ए.एन. कारिया, पालनपुर, श्री के.सी. सेठी, जयपुर, श्री सुरेश अग्रवाल, जयपुर, श्री पी.एन. रछोया, जयपुर, श्री महेश शर्मा, जयपुर, श्री आशीष मेहता, मुम्बई, श्री प्रवीन पटेल, बिलासपुर, श्री बलबीर सिंह यादव, द्वारका नई दिल्ली।

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में श्री मानचंद खंडेला, श्री रामदयाल जी खंडेलवाल, श्री पी.एन. मण्डोला एवं अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उपस्थित लोगों ने प्रश्नोत्तर काल में विभिन्न प्रश्नों के द्वारा अपनी शंकाओं का निवारण किया। सोसाइटी के संयुक्त सचिव द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम के अन्त में सम्पूर्ण विचार विमर्श के निष्कर्ष का संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय गान से समापन हुआ।

संविधान बनाम लोग

हमारा भारत महान है, क्योंकि उसका एक संविधान है।
उस संविधान का एक मुख्य आधार है, न्याय हमारा मूलभूत अधिकार है।
जो भी नया राजा आता है, धृतराष्ट्र हो जाता है
जो अपनी सुविधा के लिये संशोधन के अधिकार आजमाता है।
किससे पूछें कहां मिलता है न्याय?
सामाजिक न्याय-आर्थिक न्याय-वैधानिक न्याय
अनाज सरकारी गोदाम में सड़ जायेगा,
लेकिन भूख से मरते हुए किसी
भूखे के मुंह में नहीं आयेगा।
एक बार सरकार, हो गई उदार और हमें दे दिया सूचना का अधिकार
जब होने लगा उसका व्यवहार जब खुलने लगे घोटालों के कारोबार
न्यायाधीश, मंत्री, तंत्री और लालफीताशाही, जब मचने लगे तबाही
मित्रों-क्या खुलेगा अब वो रहस्य
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का संघर्ष
संसद और न्यायपालिका आमने-सामने खड़े हो गये हैं।
दाम दो, सुविधा लो।
कभी अदालत नहीं बैठती, कभी न्यायाधीश नहीं बैठता
बिचारा न्याय खड़ा रहता है, न्याय पर पर्दा पड़ा रहता है।
न्याय पाने के लिये अ एक जनम काफी नहीं है
ये अन्याय है, अधिकारों की हत्या है और
अपराधियों के हौसले तब और बुलन्द हो जाते हैं।
जिनकी जीवन पुस्तक में न्याय का अध्याय नहीं
जहां अरबपति दिखाते हैं उनकी कोई आय नहीं
और ये डूब मरने की बात है कि
मदिरालय में मदिरा है पर न्यायालय में न्याय नहीं।
न्यायालय में न्याय नहीं।
कुछ भी हो हमने उम्मीद नहीं हारी है।
फौरम फोर फास्ट जस्टिस की जंग अभी जारी है।

न्यायालय की सीमा रेखा

मद्रास हाईकोर्ट की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ के समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि 'संविधान सर्वोच्च है। विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका इन कानूनों की अंतिम व्याख्या करती है। कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल न्यायिक समीक्षा से गुजरता है।'

यह संवैधानिक स्थिति है। इसके मुताबिक न्यायपालिका यदि विधायिका द्वारा पारित किए किसी कानून या फैसले और कार्यपालिका की किसी कार्यवाही को निरस्त करती या कोई आदेश देती है तो उसका ससम्मान निवार्य रूप से पालन होना चाहिए। प्रजातंत्र के स्वस्थ्य और सुचारू रहने के लिए यह अनिवार्य है। लेकिन अपने छुद्र और अदूरदर्शी दलगत हित के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संविधान में संशोधन करने की प्रवृत्ति पूरे संतुलन को बिगाड़ कर अराजकता पैदा कर सकती है। यह राजनेताओं में बढ़ती एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का संकेत है।

इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि कार्यपालिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ठंडे बस्ते में डालने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई बार सर्वोच्च न्यायालय के नाराजगी व्यक्त करने पर भी सरकार की ओर से उचित कार्रवाई करने के बजाय लचर दलीलें बेहिचक दी जाती हैं। यह जनजाने में नहीं अक्सर जानबूझकर नीतिगत तौर पर किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि

(शेष पृष्ठ पांच पर)

राज्य बताएं पुलिस सुधार पर क्या किया : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को हलफनामा दाखिल कर पुलिस सुधार में कोर्ट के आदेशों पर अमल की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितम्बर 2006 को देश में पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को कई निर्देश जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए। पीठ ने सरकारों से कहा है कि वे नवम्बर के अंत तक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कोर्ट के 22 सितम्बर 2006 के आदेश पर अमल के लिए क्या कदम उठाए गए। इससे पहले प्रकाश सिंह ने पीठ को बताया कि अभी तक यही नहीं मालूम है कि राज्यों ने पुलिस सुधार के बारे में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है या नहीं। उनके वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि गत वर्ष अप्रैल से उनकी एक अर्जी लम्बित है जिसमें कहा गया है कि कई राज्यों ने डीजीपी को दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। उधर दूसरी ओर तमिलनाडु के वकील ने पीठ को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य में डीजीपी के नाम का पैनल नहीं भेज रहा है। कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्ति के लिए दो सप्ताह के भीतर तीन वरिष्ठ आरपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करे। मामले में अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह की याचिका पर 22 सितम्बर 2006 को पुलिस सुधार के बारे में विस्तृत आदेश जारी किए थे। उन आदेशों में कानून व्यवस्था में लगी पुलिस और मामलों की जांच में लगी पुलिस को अलग करने के साथ ही पुलिस अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल देने की बात कही गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की पुलिस को राजनैतिक और अन्य दबावों से मुक्त करने की भी बात कही थी।

हाईकोर्ट विवेकाधीन अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने या इससे इनकार करने के निचली अदालतों के अधिकार हड़पने की हाईकोर्टों की प्रवृत्ति की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा है कि उन्हें अपने विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए।

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने दहेज प्रताड़ना के आरोपों के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताई। न्यायाधीशों ने कहा कि हाईकोर्टों को इस तरह के आदेश देने से बचना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा- हमें यह नोट करके बहुत दुःख हो रहा है कि इस न्यायालय की स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद हाईकोर्ट ऐसे आदेश दे रहे हैं। इस आचरण की कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी ही होगी। न्यायाधीशों ने कहा कि कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर होने वाली याचिकाओं पर विचार करके आदेश दे रहे हैं और अभियुक्त को जमानत देने या इससे इंकार करने के विभिन्न आदेश देकर आपराधिक अदालतों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

इस मामले में हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के आरोपों की जांच पूरी होने तक पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका का निबटारा कर दिया था। लेकिन बाद में उसने एक अन्य आदेश पारित करके इस मामले के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक पति की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी थी। न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निष्पादित की जा चुकी याचिका में दायर अर्जी पर विचार करके बहुत गंभीर गलती की है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने निष्पादित रिट याचिका में दायर अर्जी पर विचार करके ही नहीं बल्कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक प्रतिवादी (पति) को गिरफ्तार नहीं करने का जनादेश भेजकर गंभीर भूल की है। न्यायाधीशों का कहना था कि जमानत देना या नहीं देना नियमित आपराधिक अदालतों के अधिकार में है और हाईकोर्ट द्वारा उनके अधिकारों को हड़पना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब हाईकोर्ट ने याचिका का निबटारा कर दिया तो फिर इसके बाद न्यायालय टाइपिंग या लिपिक की गलती के अलावा पुनर्विचार याचिका या विविध मामलों को लेकर दायर होने वाली अर्जियों पर विचार नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 226 और 227 और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्टों को अपवादस्वरूप अधिकार दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से ही करना चाहिए।

'टेलीकॉम वाचडॉग' के सचिव के खिलाफ कार्यवाही के लिए सीबीआई स्वतंत्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की जांच में कथित हस्तक्षेप के मामले में गैर सरकारी संगठन 'टेलीकॉम वाचडॉग' के सचिव अनिल कुमार के खिलाफ कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। इस गैरसरकारी संगठन ने पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन को पाक साफ करार देने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने अनिल कुमार के आचरण को अत्यधिक अनुचित करार दिया। अनिल कुमार के संगठन ने दूसरे लोगों के साथ पहले दयानिधि मारन के खिलाफ याचिका दायार की और बाद में जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर और एक पत्रिका में लेख प्रकाशित करके यह आभास कराया कि पूर्व संचार मंत्री पाक साफ हैं।

जजों ने कहा- हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह पत्र किसी भी तरह से जांच प्रभावित नहीं करेगा और अगर सीबीआई सोचती है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो कानूनी प्रावधानों के अनुरूप उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। याचिका दायर करने के बाद सीबीआई को पत्र लिखना अत्यधिक अनुचित है और इस पत्र को तो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक याचिकाकर्ता के पीछे हटने या पूर्व मंत्री के समर्थन में आ जाने से जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सीबीआई से कहा- आपको कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करनी है और इसमें किसी तरह की अनुमति या आदेश का सवाल ही नहीं उठता। अगर तथ्य सही है तो आपने जांच पूरी कर ली होगी। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस के वकील प्रशांतभूषण ने सीबीआई पर धीमी रफ्तार से जांच करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मारन के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है।

जांच ब्यूरो ने इस साल अप्रेल में कुमार का पत्र अदालत के संज्ञान में लाया था। पत्र में कुमार ने मारन को तकरीबन निर्दोष ठहराते हुए एयरसेल के पूर्व अध्यक्ष सी शिवशंकर पर मैक्सिस से धन ऐंठने की कहानी गढ़ने का आरोप लगाते हुए पीड़ित से आरोपी बना दिया था। अदालत ने अनिल कुमार के पांच फरवरी के पत्र पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पत्र में कुमार ने दयानिधि मारन को एक तरह से आरोप मुक्त करते हुए शिवशंकर पर आरोप लगाया था जबकि टेलीकॉम वाचडॉग ने पहले के आवेदनों में उसे पीड़ित के रूप में पेश किया था।

जांच ब्यूरो का कहना था कि कुमार का आचरण 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की जांच में हस्तक्षेप करने वाला है। इस पर जजों ने कहा कि जब मामला हमारे सामने था तो लेख प्रकाशित करने का उनका क्या प्रयोजन था। इस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांतभूषण ने कहा कि कुमार ने पत्रिका में यह लेख प्रकाशित होने और जांच एजेंसी को पत्र लिखने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। इस पत्र में कुमार ने लिखा था कि शिवशंकर पर मारन के दबाव की बात सही नहीं है। टेलीकॉम वाचडॉग ने एक अन्य गैरसरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस और वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के साथ संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी। इस बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत में मारन से संबंधित मामले की जांच में प्रगति के बारे में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की।

आय से अधिक संपत्ति केस में फंस सकते हैं तेजिंदर

नई दिल्ली। सेनाध्यक्ष को रिश्वत की पेशकश के मामले में फंसे लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति बनाने का नया केस दर्ज करने पर विचार कर रही है। इसके लिए तेजिंदर सिंह के यहां मिले दस्तावेजों की जांच कर उनकी वास्तविक संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में आयकर विभाग की मदद ली जा सकती है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिश्वत पेशकश मामले में मारे गए छापे के दौरान तेजिंदर सिंह की बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। जिनमें कई चल-अचल संपत्तियों के अलावा कई कंपनियों में भारी निवेश भी शामिल है। जल्द ही उन्हें सीबीआई मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अधिकारी के अनुसार यदि सेवानिवृत्त होने के पहले तक तेजिंदर सिंह की संपत्ति उनकी घोषित आय से अधिक पाई गई तो उनके खिलाफ अलग से आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि टाट्रा ट्रकों की खरीद को हरी झंडी देने के लिए तत्कालीन सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह को 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में सीबीआई तेजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

हालांकि इस साल मार्च में वी.के. सिंह के रहस्योद्घाटन के बाद तेजिंदर सिंह आरोपों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन छह माह की छानबीन के बाद सीबीआई ने वी.के. सिंह के आरोपों को सही पाया। यही नहीं, रक्षा सौदों के दलाल अभिषेक वर्मा से पूछताछ के दौरान भी सीबीआई को तेजिंदर सिंह के कारनामों के बारे में नए तथ्य सामने आने की जानकारी मिली थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेजिंदर सिंह कई दलालों के सम्पर्क में थे और उन तक रक्षा सौदों से खरीद से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराते थे। इसके एवज में उन्हें नियमित भुगतान तक के सबूत मिले हैं।

छह राज्यों ने नहीं की है आईपीसी में संशोधन पर टिप्पणी

नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को इसके दायरे में लाने और अपराध बनाने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आईपीसी (संशोधन) विधेयक का मसौदा देकर उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं।

गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई अर्जी के जवाब में कहा- आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी की सरकारों की टिप्पणी अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

जवाब के अनुसार विधेयक फिलहाल शुरूआती स्तर पर है। सभी राज्य सरकारों या अधिकतर सरकारों की टिप्पणियों के साथ अन्य पक्षों की टिप्पणी मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जवाब में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने आईपीसी में एक नया अध्याय सात ए (निजी क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा या उनसे जुड़े अपराध)

(शेष पृष्ठ आठ पर)

फारम फोर फास्ट जस्टिस एवं सोसाइटी फोर फास्ट जस्टिस जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "थिंक टैंक कान्क्लेव" में भाग लेने वाले श्री प्रबोध चंद्र ने जिज्ञासा के साथ कुछ प्रश्न उठाये हैं, हम उनका प्रकाशन कर रहे हैं

निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?

1. लाल बत्ती वाली कार देखते ही मन में श्रद्धा व सम्मान के भाव क्यों नहीं आते?
2. न्यायोचित निर्णय लेने वाले अधिकारी सम्मान पाते हैं, अपनी छवि निखारकर सभी अधिकारी प्रेम की पूंजी क्यों नहीं कमा सकते?
3. अपराधियों से हाथ मिलाने वाले अधिकारियों को सेवामुक्त कर उम्रकैद की सजा क्यों नहीं दी जा सकती?
4. राजकोष लुट रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, चलेगा यह सिलसिला आखिर कब तक?
5. जेलों में कठोर अनुशासन से अपराधियों को फौजियों जैसा अनुशासित जीवन जीना क्यों नहीं सिखाया जा सकता?
6. हत्यायें करना व्यवसाय बन चुका है, सुपारी लेने वालों को हत्यायें करने का अभयदान किसने दिया?
7. चरित्रहीनों से प्रभावित बच्चे मानसिक रोगी बन रहे हैं, क्या मातायें शेरनी बन चरित्रहीनों से बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती?
8. रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम करने वाले पुख्ता सबूत छोड़ते हैं फिर पकड़े क्यों नहीं जाते?
9. बंगला देश सेना से हथियार छीनने में 14 दिन लगे थे, नक्सलवादियों से अवैध हथियार छीनने में अभी कितने दिन और लगेंगे?
10. जनता अपराधियों को जानती है, पुलिस पहचानती है फिर देश को अपराधियों से मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता?
11. पैदल नहीं चलते अपराधी, सड़कों पर ही चहते हैं अपराधियों के वाहन, फिर वह पकड़े क्यों नहीं जा सकते?
12. आर्मी के लिये करोड़ों के टेट्रा ट्रक आयात किये जाते हैं, भारत के ट्रक निर्माता टेट्रा जैसे ट्रक क्यों नहीं बना सकते?
13. गृहमंत्री का पद महत्वहीन बना दिया गया है क्या कमजोर गृहमंत्री भारत जैसे विशाल देश को अखण्डित रख पायेगा?
14. काले धन से खरीदी प्रोपर्टी अनुपयोगी पड़ी है, अधिक प्रोपर्टी खरीदने वालों की आयकर फाइल क्यों नहीं जांची जाती?
15. जो देश दूध, दही की नदियों के लिए जाना जाता था आज उस देश में भूखे चरित्रहीन कहां से आ गये?
16. चुनाव पर करोड़ों खर्च कर रहे चरित्रहीन आयकर विभाग को दिखाई नहीं देते, क्या जनता भी नहीं देख रही?
17. संस्कारिता समाज के लिए पुलिस की आवश्यकता ही नहीं फिर पुलिस बल बढ़ाने की सोच किसकी है?
18. पर्यटन स्थलों का ऐतिहासिक स्वरूप कौन नष्ट करवा रहा है जिससे देश का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो रहा है?
19. बेरोजगारों को आरक्षण में उलझाने के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में हम क्यों नहीं सोचते?
20. नकली करैन्सी व काले धन के प्रति सरकार गम्भीर क्यों नहीं है?
21. "शराब बिक्री को प्रोत्साहन" ही क्या राजस्व बढ़ाने का एक मात्र विकल्प है? खनन व्यवसाय से अरबों का राजस्व क्यों नहीं?
22. सभी चाहते हैं शान्तिपूर्वक जीवन जीना फिर अपराधियों को पकड़वाने के लिए ईनाम लाखों-करोड़ों में क्यों नहीं दिए जाते?
23. न्यायालयों में वर्षों से मुकदमे लम्बित पड़े हैं फिर कार्यप्रणाली में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता?
24. अपराधियों को मिल जाते हैं किराये पर मकान/होटल, अवैध हथियार व वाहन, इसे रोका क्यों नही जा सकता?
25. पानी के सदुपयोग के अध्ययनार्थ अनेक अधिकारी इजराइल घूम आये फिर भारत इजराइल क्यों नहीं बन सका?
26. पराध जगत में अनन्त पैसा क्या आयकर विभाग की अकुशलता के कारण नहीं?
27. नई जेलें बनाने के बजाय कैदियों की संख्या घटाने के उपाय हम क्यों नहीं सोचते?
28. किसने बिगाड़ा देश का वातावरण जिससे अपराधी इतने भयविहीन हो गये कि नेताओं को एक से अधिक सुरक्षाकर्मी चाहिये?
29. संगठित चरित्रहीन अपराध कर रहे हैं, चरित्रवान संगठित होकर चरित्रहीनों को कुचल क्यों नहीं सकते?
30. भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, करोड़ों बेरोजगार इसे निर्यातक देश क्यों नहीं बना सकते?

"Loyal and efficient work in a great cause, even though it may not be immediately recognised, ultimately bears fruit."
-**Jawaharlal Nehru**

पुलिस की उपयोगिता राजकोष पर निरर्थक भार है पुलिस

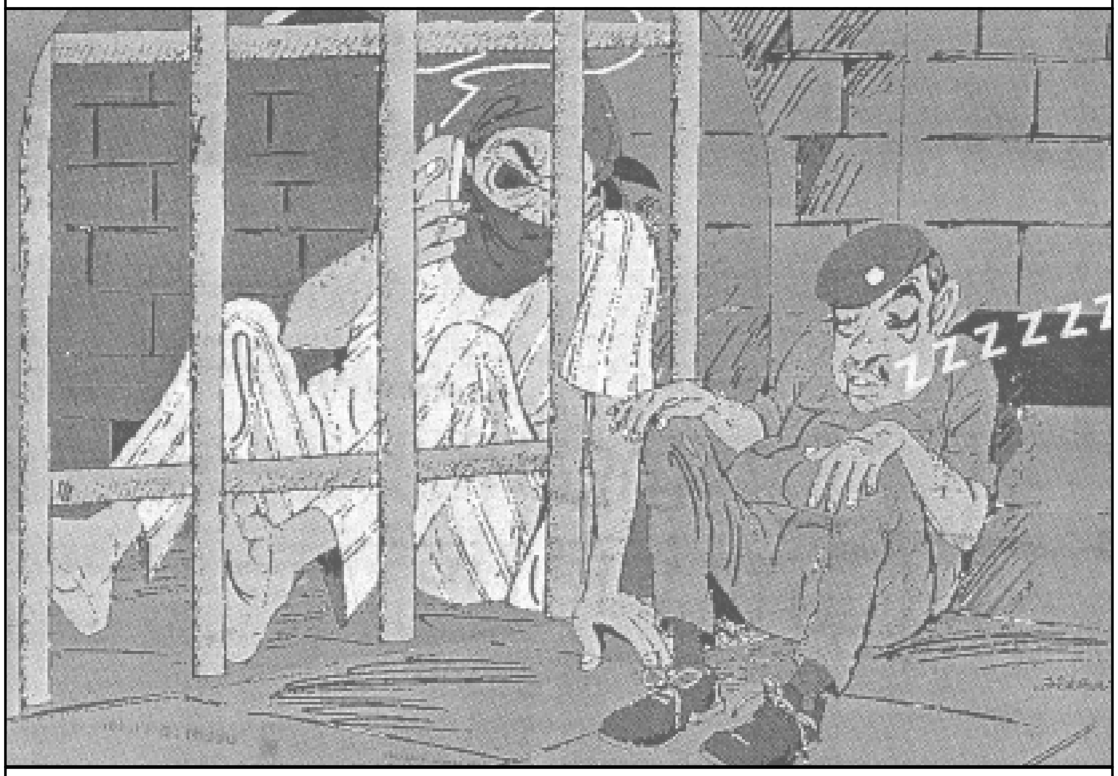

संस्कारित समाज के लिए पुलिस की आवश्यकता ही नहीं। पुलिस की संख्या बढ़ाने के बजाय हमें देश को संस्कारित करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

मेरे बॉस कहा करते थे "यदि आप सब कुछ नहीं कर सकते तो जो कर सकते हो वह तो करो"

अपराधियों से मिले पुलिस अधिकारी ही करते हैं कर्मचारियों की कमी का बहाना

राष्ट्र हितार्थ विचारों के प्रसार प्रचार हेतु तन, मन, धन से सहयोगी चाहिये

Em : prabodhchandrashangari@gmail.com

प्रबोध, जयपुर 9414056114

न्यायालय की सीमारेखा... (पृष्ठ तीन का शेष)

सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद सरकार नौ साल से जीवन रक्षक मानी जाने वाली दवाओं पर मूल्य नियंत्रण नहीं कर रही है। आखिर न्यायालय को चेतावनी देनी पड़ी कि सरकार का यही रवैया रहा तो उसे स्वयं जीवन रक्षक दवाओं की सूची के लिए आदेश जारी करना पड़ेगा, जबकि इसका सम्बन्ध करोड़ों गरीबों की चिकित्सा से जुड़ा है। यह तो हांडी का सिर्फ एक चावल है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की इस राष्ट्रघाती प्रवृत्ति पर तुरन्त अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है वरना सरकार निरंकुश हो जाएगी और जनता असहाय। खासतौर पर नवउदारीकरण/निजीकरण की आर्थिक नीतियों के बरबस।

जब भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला या टिप्पणी राजनेताओं के दलीय हितों के खिलाफ जाती है तो वे न्यायपालिका की सक्रियता के खिलाफ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यह नजरअंदाज करते हुए कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय देने का अधिकार दिया है। जिस संसद की राजनेता दुहाई देते हैं उसकी दुर्गति करने में स्वयं उन्होंने क्या कसर बाकी रखी है? देश यह सब देखकर हतप्रभ है। सत्र के सत्र हंगामे में बर्बाद करने का चलन चल पड़ा है। राजनीति का अपराधीकरण, प्रशासन का राजनीतिकरण और राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार के चलते राजनेताओं की क्या पात्रता या विश्वसनीयता रह जाती है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करें, जबकि स्वायत्त संस्थाएं तक उन्हें आंख की किरकिरी लगती हैं!

लगता है कि वर्तमान राजनेता स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं चाहते। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ संविधान में संशोधन की प्रवृत्ति इसी एकाधिकारवादी सोच की ओर इंगित करती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि 'विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता है। न्यायपालिका की शक्तियों के इस्तेमाल पर नियंत्रण केवल आत्मानुशासन और आत्मसंसय से संभव है।'

इस संदर्भ में राष्ट्रपति का यह मत गौरतलब है कि 'जजों ने अभिनव तरीके और सक्रियता से न्याय की सीमा के विस्तार में काफी योगदान दिया है। निर्धनतम लोगों तक न्याय की पहुंच कायम की है।' आम जनता को आज सर्वोच्च न्यायालय पर ही विश्वास रह गया है। इसका डिगना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होगा।

जिंदल ने... (पृष्ठ दो का शेष)

दूसरी तरफ चैनल ने कहा कि कथित छद्म सौदे के माध्यम से वह जेएसपीएल को बेनकाब करने की कोशिश में था और किसी भी तरीके से धन की मांग नहीं की गई। चौधरी ने कहा कि वास्तव में जेएसपीएल हमारे खुलासे से थर्रा गया और हमें खरीदने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जिंदल ने संवाददाता सम्मेलन में सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता के सवाल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि कोयला खदान आवंटन पर कैग की रिपोर्ट और जेएसपीएल की संलिप्तता का बड़ा मुद्दा अब भी है।

खादी की अंतर्कथा और व्यथा पर

"कोई तो मूंडो खोलो"

खादी चौड़ा में डूबी रे, कोई तो मूंडो खोलो।
सब मिट गई यांकी खूबी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

खोलो रे मूंडो खोलो, जय गांधी जी री बोलो।
बेईमानां रो फाड़ो चोलो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

सै खादी विचार छूटग्यो, बापू आधार टूटग्यो।
खादी रो भाग फूटग्यो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

जो ही गांधी री खादी, जीसूं पाई आजादी।
वाने पराधीन बणादी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

कातै जो पैरे कोनी, पैरे जो कातै कोनी।
'पोली' नै की अनहोनी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

बिन रोजी से कतवारी, फिर रही छै मारी-मारी।
बुनकर पै संकट भारी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

खादी वर्कर सब रोवे, बिन काम जागतां सोवे।
अंधकार में जीवन खोवे रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

जो असली खादी वाला, चिंता में पड़ग्या काला।
नकली हो गया मतवाला रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

भ्रष्टाचार बढ्यो रग-रग में, झूंठ फरेब बढ्यो पग पग में।
कैसी हांसी हो रही जग में रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

रक्षक भक्षक बण आग्या, जो दीमक तांई लाग्या।
खादी ने जड़ सूं खाग्या रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

रुई में कमीशन खायो, और ऊन में कर्यो सफायो।
जिंको अब तक अंत न आयो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

रिश्वत में होय सिलाई, साझा में करे छपाई।
करते नित पाप कमाई रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

झूंठो उत्पादन कीनो, दे घूंस रिबेट ले लीनो।
नही आयो नैक पसीनो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

आंधी नगरी चौपट राजा, एक भाव छै सबजी खाजा।
सै चोर बण्या महाराजा रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

आजीवन वेतन भत्ता, सुविधा संग भोगे सत्ता।
ऊपर सूं मारे गत्ता रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

सब तानो-बानो टूट्यो, पण पद को मोह न छूट्यो।
चौथे गण पकड्यो खूंटो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

जब तन ने जोश भुलायो, इंन्द्रा सोयी, तड़फायो।
बेटो युवराज बणायो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

जो पीढ़ी दर पीढ़ी खावे, निज बपौती राज बणावे।
याने जरा शरम नहीं आवे रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

कई ठग मिल गुट्ट बणायी, ठगने री जाल बिछायो।
धन बांट-बांट के खायो रै, कोई तो मूंडो खोलो।।

सब नीति भावना त्यागी, सब स्वारथ बुद्धि जागी।
आ बाड़ खेत ने खागी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

संस्था ने संस्था खागी, धोको दे उधार ले भागी।
देबा में बणगी नागी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

सब तंत्र नियंत्रण वाड़ा, डाकू बणग्या रुखड़ा।
चौड़ा में मारे धाड़ा रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

आ राज नीति सूं हटग्यो, संरक्षण ताई नटग्यो।
ई कारण बादल फाटग्यो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

अपवाद क्षमा कर दीजो, पण थे सांची सुण लीजो।
भुगतोला थे भी नतीजो रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

खादी सेवक 'दयाल' री बाणी, हिरदां सूं गई बखाणी।
कांई मरग्यो पाणी रे, कोई तो मूंडो खोलो।।

रामदयाल खण्डेलवाल (लोकसेवक)
48, सचिवालय कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर फोन : 2590350 मो. 9926397845

यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए समितियां बनाएं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने विशाखा प्रकरण में दी गई व्यवस्था का दायरा बढ़ाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी सभी नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए वे अपने यहां समितियां गठित करें।

न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मेधा कोतवाल लेले की याचिका पर अपने फैसले में नियामक संस्थाओं और उनसे सम्बद्ध सभी संस्थानों को 1997 में विशाखा प्रकरण में जारी दिशा-निर्देश दो महीने के भीतर लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सरकारी महकमों और सार्वजनिक उपक्रमों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों और दूसरे संस्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम करना और ऐसे विवादों के समाधान व कानूनी कार्रवाई के लिए सभी उचित कदम उठाना नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्त्तव्य होगा। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध करने के नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही इनका प्रकाशन और वितरण भी किया जाना चाहिए। इसमें यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ दंड का भी प्रावधान होना चाहिए।

इस न्यायिक व्यवस्था के तहत निजी नियोक्ताओं को भी अपने आदोशों में यौन उत्पीड़न निषेध को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। दिशा-निर्देशों में ऐसे मामलों की जांच के लिए शिकायत समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। ऐसी समितियों का अध्यक्ष किसी महिला को बनाने और समिति में कम से कम आधी संख्या महिला सदस्यों को रखने की भी सिफारिश की गई थी। न्यायिक व्यवस्था में उच्च स्तर से किसी प्रकार के अनावश्यक प्रभाव की संभावना समाप्त करने के इरादे से समिति में तीसरे पक्ष के रूप में किसी गैर सरकारी संगठन या यौन उत्पीड़न के मामलों से परिचित किसी अन्य संस्था को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

संपत्ति का सौदा पूरा न होने पर जब्त हो सकता है बयाना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अचल संपत्ति खरीदने के लिए बयाने के रूप में दी गई राशि जब्त की जा सकती है यदि क्रेता ऐसे सौदे की शेष राशि का भुगतान करने में विफल हो जाता है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि बयाने के रूप में दी गई रकम सौदा पक्का करने के लिए दी जाती है। यदि क्रेता गलती के कारण अचल संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकी, तो विक्रेता को बयाने की राशि जब्त करने का अधिकार है।

न्यायाधीशों ने कहा कि अचल संपत्ति खरीदने के लिए सौदा करते समय क्रेता बयाने की रकम वचन के रूप में देता है। लिहाजा जमाकर्ता द्वारा कार्य निष्पादन नहीं करने (वचन का पूरा न करने) की स्थिति में इसे जब्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि संपत्ति बेचने वाला क्रेता की ओर से जमा कराई गई सारी राशि की बजाय न्यूनतम राशि ही जब्त कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्रेता द्वारा बयाने के रूप में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त की जा सकती है।

अदालत ने कहा कि इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है और यदि विक्रेता सौदे को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो क्रेता दुगनी राशि पाने का हकदार है बशर्ते करार में इसका जिक्र हो। अदालत ने कहा कि यह भी कानून है कि खरीद मूल्य का आंशिक भुगतान की राशि जब्त नहीं की जा सकती है बशर्ते यह सौदे को पूरा करने के लिए गारंटी के रूप में नहीं हो।

इस मामले में एक आदमी ने 70 लाख रुपए की संपत्ति खरीदने के लिए बयाने के रूप में सात लाख रुपए का भुगतान किया था लेकिन वह बाकी 63 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर पाया था। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने बयाने में दिए गए सात लाख रुपए की बजाय 50 हजार रुपए की जब्त करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट कर सकते हैं पुनर्विचार?

शीर्ष अदालत ने फैसले के लिए मामले को बड़ी पीठ के हवाले किया

नई दिल्ली। क्या कोई हाई कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह स्वीकार कर सकता है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया हो ?

यह एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परस्पर विरोधी आदेश जारी किए हैं। इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने अब इसे फैसले के लिए बड़ी पीठ को सौंपा है।

इस मुद्दे पर दो सदस्यीय पीठों की अलग-अलग राय को देखते हुए इसका समाधान निकालने के लिए ऐसा किया गया है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्र की पीठ ने कहा कि इससे पूर्व की विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी नजरिए को देखते हुए इसका एक निश्चित उत्तर पाने के लिए इस मुद्दे पर बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत और देश के विभिन्न हाई कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता पर पेश की जा रही बहुत सारी दलीलों पर गौर किया है।

विशेष सुनवाई याचिकाओं के निष्पादन में कारण बताकर या बगैर कारण बताए दो न्यायाधीशों के परस्पर विरोधी मतों के कारण कोई राहत नहीं दी जा रही है। पीठ ने कहा है कि इससे मामले का समाधान किए जाने की जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज किए जाने के बाद विभिन्न पक्षों द्वारा बड़ी संख्या में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। इस सवाल को बड़ी पीठ को सौंपे जाने पर पीठ ने कहा कि वर्ष 2009 के पलानी रमन कैथोलिक मिशन बनाम एस बागीरथी अम्मल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि शीर्ष अदालत में अपील दायर करने के बारे में कोई राहत नहीं दी गई है तो पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है जबकि बाद में कई फैसले उसके विपरीत दिए गए हैं।

अब तक का सबसे बड़ा घोटाला

50 लाख करोड़ का थोरियम बालू खनन घोटाला

नई दिल्ली। अब एक और घोटाला सामने आया है जिसके सामने 1.76 लाख करोड़ रुपये का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और 1.86 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला भी छोटा पड़ जायेगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 2007 में जारी कार्यकारी आदेश से मोनेजाइट का खनन प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया जिसका लाभ उठाकर देश के दक्षिणी तटों से थोरियमयुक्त मिट्टी की तस्करी से राजकोष को 50 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

तमिलनाडु के शक्तिशाली खनन गुट ने लगभग 21 लाख टन मोनेजाइट का निर्यात किया जिससे देश की 50 वर्ष की विद्युत जरूरत पूरी हो जाती। इसमें से निकलने वाला थोरियम परमाणु कार्यक्रमों को यूरेनियम आयात से मुक्त करवाने की कुंजी है जिससे विद्युत संयंत्र चल सकते हैं और असीमित अक्षय ईंधन का उत्पादन कर सकता है।

भारत को बहुत बड़ा घाटा हुआ है क्योंकि उसका लगभग एक चौथाई भावी ईंधन ऐसे समय गायब हो गया जब भारत थोरियम ईंधन आधारित तेज रिएक्टरों में अपनी विशेषज्ञता के कारण परमाणु तकनीकी में विश्व का नेतृत्व करना चाहता है। आश्चर्य है कि ऐसे में ईंधन वाली मिट्टी के खनन में रियायत दी गई जब भारत अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता कर रहा था। और कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ देश भारत पर अन्य देशों को परमाणु ईंधन सप्लाई करने के लिए ''रोंग कंट्री'' (अंतरराष्ट्रीय कानून एवं परम्पराएं न मानने वाला देश) होने का आरोप लगाएं।

2007 तक केवल सरकारी इंडियन रेयर अर्थर्स लि. (आईआरईएल) को ही खनन की इजाजत थी मगर माइन्स एंड मिनरल्स (डवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट में एक अधिसूचना द्वारा संशोधन से इसे निजी खननकर्ताओं के लिए खोल दिया गया, हालांकि काफी कड़ी शर्तों के साथ जिनकी प्राधिकरणों ने कभी जांच नहीं की प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्यात रोकने के लिए लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए गए थे कि थोरियम युक्त मोनेटाइज खनन की गई मिट्टी से अलग कर परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपना था। यह विभाग तटीय क्षेत्रों की मिट्टी को नियंत्रित करता है क्योंकि इसमें जिरकॉन, थोरियम और इल्मेनाइट जैसे पदार्थ होते हैं मगर विभाग के अधिकारियों ने थोरियम युक्त मिट्टी निर्यात होते समय आंखें मूंद ली बताई।

सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के तटों से मिट्टी की तस्करी 2002 में आरंभ हुई जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया कि इस मिट्टी से 8 से 10 प्रतिशत थोरियम निकल सकता है जिसे यूरेनियम में परिवर्तित कर परमाणु बिजली संयंत्रों में कई बार उपयोग में लिया जा सकता है और यह ईंधन की अंतहीन उपलब्धता है।

तस्करी 2007 में बढ़ी जब प्राइवेट कंपनियों को प्रवेश दे आईआरईएल का एकाधिकार तोड़ा गया जब दुनिया के कई देश अधिकाधिक थोरियम का स्टॉक करने के इच्छुक थे क्योंकि उन्हें भारतीय शोध से संकेत मिल गया था कि यह सस्ता परमाणु ईंधन है। खबरों से पता चलता है कि तिरुनेलवेली की एक कंपनी के नेतृत्व में एक खनन गुट ने मिट्टी के खनन पर एकाधिकार कर लिया और नियम तोड़कर चुपचाप मोनेजाइट का निर्यात कर दिया जिसकी चीन और जापान जैसे देशों में भारी मांग है।

ऐसा नहीं है कि इस लूट को लेकर सरकार अंधेरे में थी क्योंकि गत वर्ष नवम्बर में ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में कहा था कि आईआरईएल एकमात्र कंपनी है जिसे मोनेजाइट के निर्यात की अनुमति है जबकि तटीय मिट्टी का खनन करने वाली अन्य कम्पनियों को मोनेजाइट अलग कर उसे सुरक्षित रखना पड़ता है क्योंकि किसी व्यक्ति या संस्था को परमाणु ऊर्जा विभाग से लाइसेंस लिए बिना मोनेजाइट की किसी प्रकार की प्रोसेसिंग करने की अनुमति नहीं है। मंत्री ने कहा कि किसी प्राइवेट पार्टी को मोनेजाइट की प्रोसेसिंग कर थोरियम निकालने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। मगर मंत्री ने यह नहीं बताया कि खनन की गई मिट्टी कितनी परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपी गई और कितनी कंपनियों ने रखीं। विभाग ने लूट में और छूट देते हुए 20 जनवरी 2006 को अधिसूचना जारी कर एटॉमिक एनर्जी (वर्किंग ऑफ माइन्स मिनरल्स एंड हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्राइव्ड सब्सटेंस) रूल्स, 1984 में संशोधन कर तटीय मिट्टी के भारी खनिजों को असूचीबद्ध कर दिया।

थोरियम का सबसे आम स्रोत है दुर्लभ फॉस्फेट खनिज मोनेजाइट जिसमें 12 प्रतिशत तक थोरियम हो सकता है मगर 6-7 प्रतिशत तो औसतन होता है। मोनेजाइट अग्निज या अन्य चट्टानों में भी पाया जाता है मगर इनकी ज्यादा मात्रा भारी खनिज युक्त तटीय मिट्टी में होती है।

विश्व के मोनेजाइट स्रोत कुल 53,85,000 मिलियन टन आंके जाते हैं जिनमें से भारत का सर्वाधिक 16 प्रतिशत हिस्सा 8,46,000 मिलियन टन है। इस दुर्लभ पदार्थ के ज्यादा भंडार वाले अन्य देश हैं तुर्की (14 प्रतिशत), ब्राजील (11 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (10 प्रतिशत) और अमेरिका (8 प्रतिशत)।

वहीं दूसरी ओर चिदम्बरम ने कैग का नाम लिए बगैर कहा, ''सुप्रीम कोर्ट की राय ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटर को लेकर जारी दुविधाओं को दूर कर दिया है। लिहाजा इस बात का संज्ञान लेते हुए अन्य सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सरकार भी इस घटनाक्रम से सीख रही है और अन्य संवैधानिक एजेंसियों को भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए।'' उन्होंने खासतौर पर प्राकृतिक संपदा का आवंटन खुली निविदा के जरिये नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट की राय का जिक्र किया और कहा, यह तय हो गया है कि खुली निविदा प्रक्रिया के लिए सरकार संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है। सिब्बल ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में सरकार प्राकृतिक संसाधनों की खुली बिक्री के लिए सिर्फ निविदा प्रक्रिया पर ही आश्रित नहीं रहेगी। हालांकि स्पेक्ट्रम व कोयला जैसे मामलों में सरकार खुली निविदा को ही प्राथमिकता देगी, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला हालात को देखकर ही किया जाएगा और सरकार का फैसला ही अंतिम होगा। उसे अब कोई चुनौती नहीं देगा।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने तारीफ करने के साथ नसीहत भी दी

लक्ष्मण रेखा न लांघे कैग

नई दिल्ली। कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) पर सरकार की तरफ से हो रहे हमलों के बीच राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इसे लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई है। उन्होंने अपना दायरा बढ़ाने पर कैग की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही चेताया कि एक सीमा के बाहर जाने पर व्यवस्था में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।

महालेखाकारों के 26वें सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सीमाओं और भूमिका को फिर से परिभाषित करने से पहले सभी संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विगत सालों मे कैग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाने से उन्हें बहुत खुशी हुई। सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने और सीमाओं के अतिक्रमण संबंधी सरकार द्वारा कैग पर लगाए गए आरोपों पर प्रणव मुखर्जी चुप ही रहे। लेकिन उन्होंने यह जरूरत रेखांकित किया कि किसी भी संस्था द्वारा सीमाओं के अतिक्रमण से व्यवस्था में असंगतियां पैदा होंगी। इसलिए सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी भूमिका का आत्मनिरीक्षण करें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि संविधान पर दबाव बढ़े, लेकिन जब तक लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय कार्यप्रणाली पर हमारा विश्वास रहेगा हम ऐसे संकटों से निपट सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लेखा नियंत्रक रिपोर्ट दरअसल सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक फीडबैक का स्वर और समय महत्वपूर्ण है।

इसी सम्मेलन में विनोद राय ने कहा कि लेखा परीक्षण विभाग का यह प्रयास रहा है कि वह सरकारी योजनाओं को सही दिशा दिखाने के लिए कारगर सुझाव उपलब्ध कराए। उन्होंने विगत की तुलना में आज कैग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हम चीयरलीडर्स की भूमिका में नहीं हो सकते। सम्मेलन में मौजूद संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और सार्वजनिक उपक्रम समिति के मुखिया जगदम्बिका पाल कैग की हालिया रिपोर्ट पर आमने-सामने आ गए। जगदम्बिका पाल ने उद्घाटन समारोह में कैग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था ने कई बार बिना सोचे-समझे सरकारी फैसलों को खर्चीला बताया है। इस तरह के आकलन का सरकारी नीति निर्धारण पर विपरीत असर पड़ सकता है। हमें उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उसे कुछ सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। वहीं, कैग की खुलेआम आलोचना की जोशी ने निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान से मिले कैग के अधिकारों को समय-समय पर चुनौती दी जाती रही है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कैग की उपलब्धि को कम करना है। उन्होंने राष्ट्रपति से भी इस मामले में सही सुझाव देने की अपील की।

गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच

खादी संस्था में भ्रष्टाचार

'राष्ट्रीय खादी मिशन' द्वारा आयोजित और संयोजित 'खादी रक्षा अभियान' के क्रम में।

गत दिनांक 22.04.12 को '**खादी मिशन**' की '**खादी सभा**' (यहीं संस्था संघ परिसर, जयपुर) में हुई चर्चाओं और निर्णायक प्रस्तावों (?) पर प्रस्तोता ने श्री बाल विजय भाई, संयोजक, ''**राष्ट्रीय खादी मिशन**'' के नाम दिनांक 25.04.12 को ही विषयान्तर्गत '**यक्ष-प्रश्न**' के नाम से 11 प्रश्नों का चार पृष्ठीय प्रपत्र दिया था, जिसकी प्रति प्रायः-प्रायः सभी सम्बन्धितों को भी भेजी थी, जो आत तक अनुत्तरित है। इस प्रपत्र का प्रिन्ट मीडिया में भी यथासमय प्रकाशन भी हुआ था जो प्रदेश देश की सभी रचनात्मक संस्थाओं की जानकारी में आ चुका है, परन्तु किन्हीं-किन्हीं की मौखिक चर्चाओं के अलावा किसी ने आज तक पक्ष-विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

परन्तु मंच को आज पुनः इसी श्रृंखला में विषयान्तर्गत एक 'अनाचार' को सम्बन्धितों के सामने 'खादी रक्षा अभियान' के सन्दर्भ में जाहिर करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वह स्थानीय मुख्य समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' का दिनांक 15.10.12 का अंक है, जिसके आठवें पृष्ठ पर स्थानीय बजाज नगर, जयपुर में स्थित 'लोक सेवा संस्थान' नामक खादी संस्था में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 50 लाख की गड़बड़ी पकड़े जाने की विस्तार से जानकारी प्रकाशित हुई है। प्रकाशन की फोटोप्रति संलग्न है, जिसका विवरण भ्रष्टाचारों की क्रियाओं का विस्तार से खुलासा हो रहा है।

इस संस्था के बारे में निम्न याद दिलाया जाना जरूरी है-

1. यह संस्था खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित है, जिसका राज्य स्तरीय कार्यालय संस्था परिसर के पास ही है।
2. यह संस्था राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ (प्रदेश की खादी संस्थाओं का फेडरेशन) की सदस्य है। संस्था संघ का कार्यालय भी बजाज नगर में ही है।
3. यह संस्था राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से भी पोषित एवं लाभान्वित है। इस बोर्ड का कार्यालय भी इसी क्षेत्र में है।
4. यह संस्था संघ खादी मिशन की केन्द्रीय व प्रान्तीय मिशनों की सदस्य भी है, इन दोनों के कार्यालय भी संस्था संघ परिसर में ही हैं तथा इसके क्रमशः संयोजक संस्था संघ परिसर में बजाज नगर में ही निवास करते हैं।
5. खादी संस्थाओं के प्रमाण पत्र देने वाले और उनका नवीनिकरण करने वाले खादी आयोग की केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष भी राजस्थान के ही हैं जो विभिन्न कामों से संस्था संघ परिसर में आते रहते हैं।

उक्त सभी तन्त्रों को उक्त भ्रष्टाचरण की परोक्ष जानकारी अवश्य होगी परन्तु खेदभरा आश्चर्य यह है कि इनमें से किसी ने भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचरण पर कार्यवाही करना तो दूर रहा, अनाचरणों पर उनकी नजर तक नहीं जा पा रही है। यदि इन तन्त्रों की आंख के नीचे संस्था के संचालक बेखौफ होकर भ्रष्टाचरण में सक्रिय हों तो शेष प्रदेश में चल रही खादी संस्थाओं की स्वच्छदंता का अनुमान सहज लगाया जा सकता है।

यहां यह जाहिर करना भी प्रासंगिक होगा कि जिन तरीकों से इस लोक सेवा संस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है वही प्रक्रिया प्रदेश की अनेकानेक खादी संस्थाओं में चल रही है। मंच के पास उसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस अनदेखी के दो ही कारण हो सकते हैं- (1) नीचे से ऊपर तक सांठगांठ और मिलीभगत, (2) अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना और अन्यान्य कारणों से मजबूर हो जाना। ऐसे अनाचरणों में प्रमुखतया उन भ्रष्ट दलालों की भी हैजो विचार से पूरी तरह दूर होते हुए भी अपने निजी लाभ के लिए संस्थाओं की खरीद-बिक्री में लिप्त रहते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा गिरोह प्रदेश में सक्रिय है।

ऐसी स्थिति में आज की डूबती हुई खादी की रक्षा के लिए सबसे पहले ऐसे अनाचारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं की पहचान सुनिश्चित करना प्राथमिक कार्य होना चाहिए।

प्रस्तोता-रामदयाल खण्डेलवाल

एसीबी ने किया मुकदमा दर्ज : फर्जी क्रय-विक्रय दिखाकर उठाया छूट का लाभ

लोक सेवा संस्थान खादी में 50 लाख का घोटाला

जयपुर। खादी का फर्जी क्रय-विक्रय दिखाकर राज्य व केन्द्र सरकार से मिलने वाली छूट का लाभ उठाकर लाखों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बजाज नगर स्थित लोक सेवा संस्थान खादी ग्रामोद्योग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ब्यूरो के आईजी उमेश मिश्र ने बताया कि लोक सेवा संस्थान खादी ग्रामोद्योग बजाज नगर खादी का उत्पादन नहीं करता। संस्थान के मंत्री संजय मिश्रा खादी का फर्जी क्रय-विक्रय दिखाकर छूट का लाभ उठा रहे हैं।

खुद का कोई कारखाना नहीं : मिश्र ने बताया कि इसी प्रकार संस्था ने ऊनी नमदा का उत्पादन फागी में दिखा रखा है, जबकि नमदा जावेद, कालू मोहम्मद, अब्दुल व खालिद निवासी टोंक से नौ रुपए फीट के हिसाब से खरीदा जाता है और 18 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाता है। खुद का कोई कारखाना भी नहीं है। संस्था बाजाजी स्टील से माल खरीदकर सरकारी विद्यालयों व कार्यालयों में सप्लाई करती है। संस्था के केन्द्र चित्तौड़ा, जयपुर व फागी में विद्युत कनेक्शन बीते 5-6 सालों से कटा हुआ है।

उत्पादन भी गलत दिखाया : संस्था ने वर्ष 2008-09 में स्टॉक करीब 50 लाख रुपए उत्पादन दिखाया वह भी गलत था। संस्था की ओर से फागी के कातिन व बुनकरों को जो चरखे व करघे निःशुल्क देने थे उनके बदले ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपए ले लिए गए थे। इतना ही नहीं उन्हीं चरखों को वापस लेकर जगतपुरा के बुनकरों को ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपए में वितरित कर दिए। इस पर संजय मिश्रा मंत्री लोक सेवा संस्थान बजाज नगर जयपुर व अन्य के खिलाफ बिना नंबरी प्रथम सूचना धारा 13 (1) (डी), पीसी एक्ट 1988, 420, 468, 468, 471 व 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

चरखे और करघे का वितरण भी गलत : संस्थान की ओर से स्फूर्ति योजना के तहत खादी कलस्टर बस्सी की नेटवर्किंग संस्था फागी की 25-25 एनएमसी 8 ताकू, सूती व पोली के लिए चरखे और करघे वितरण किए गए, जो बुनकरों की संख्या के अनुसार नहीं थे। इनमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। ये पंजाब से सूत लाकर बेच देते हैं, फतेहपुर सीकरी से दरी-फर्श लाते हैं और इनका बिल खादी समिति डीग से लाते हैं।

बेहिसाब फीस ले रहे कुछ वकील : मुख्य न्यायाधीश

रांची। भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने का कि देश के कुछ वकील बेहिसाब फीस ले रहे हैं। उनकी फीस कुछ चुनिन्दा लोग ही वहन कर सकते हैं। ऐसे में गरीब लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करने की आवश्यकता है, जिससे कि अमीरों व गरीबों को बराबर का न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे जस्टिस कबीर झारखंड हाईकोर्ट न्यायिक अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित समारोह में 'न्याय देने में उत्कृष्टता' विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। कुछ वकीलों द्वारा बेहिसाब फीस पर चिन्ता जताते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को कुछ अतिरिक्त करना होगा जिससे कि गरीबों व अमीरों को समान न्याय मिल सके।

जस्टिस कबीर ने कहा कि न्याय की कुर्सी पर आसीन व्यक्ति भगवान की तरह होता है इसलिए उसको धैर्यवान होना चाहिए। उसमें सबकी बातें सुनने का धैर्य तो होना ही चाहिए।

न्यायकर्म से जुड़े लोग सब कुछ रहते हुए यदि स्वयं सशक्त न हों तो उत्कृष्टता नहीं आएगी। अधीनस्थ न्यायपालिका हमारी प्रणाली की रीढ़ है। इसे भी सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक स्तंभ चाहे वे जज हों या वकील, सभी को जुनून के साथ काम करने से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। होम वर्क बहुत मायने रखता है। सभी को त्वरित न्याय मिले और न्याय गुणवत्तापूर्ण हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सहज, सुलभ व सस्ते न्याय के लिए दोनों तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए। नई तकनीक पर जोर देना चाहिए। बार व बेंच दोनों को ईमानदार प्रयास करना होगा। सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते इसलिए निचली अदालतों में धैर्यपूर्वक मामलों को सुनकर निपटाया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। समारोह को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र, जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय ने भी सम्बोधित किया।

छह राज्यों ने नहीं की... (पृष्ठ चार का शेष)

शामिल करके उनमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसमें निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए दो खंड 160ए और 160 बी को जोड़ने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विधेयक के दायरे में किसी व्यक्ति, कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट लोगों के संघ तथा प्रतिष्ठान के भ्रष्टाचार को लिया जाएगा जो किसी आर्थिक या वित्तीय या वाणिज्यिक गतिविधि संचालित करते हैं। कानून के मसौदे के अनुसार आर्थिक, वित्तीय या वाणिज्यिक गतिविधियों के चलते यदि कोई किसी निजी क्षेत्र की संस्था में किसी नाते से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की रिश्वत देने की पेशकश करता है या देता है तो उसे दंडित किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दिल्ली ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु और दमन दीव ने प्रस्ताव में कुछ बदलावों के सुझाव किए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव के जवाब में 'कोई टिप्पणी नहीं' कहा है।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	: रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	: रू. 100/-
मासिक	: रू. 10/-
एक प्रति	: रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com
पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।